28.7.2015 को नई दिल्ली में आयोजित सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के प्रणाली अध्ययन के लिए गठित उप-समिति की पाँचवीं (5 वीं) बैठक की कार्यवृत्त।

28.7.2015 को नई दिल्ली में प्रोफेसर पी.बी.एस. शर्मा की अध्यक्षता मे सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के प्रणाली अध्ययन के लिए गठित उप-समिति की पाँचवीं बैठक आयोजित हुई । उप-समिति के अध्यक्ष ने सभी सहभागियों का स्वागत किया। इस बैठक में उपस्थित सहभागियों की सूची संलग्नक I में प्रस्तुत की गई है।

उप-समिति के अध्यक्ष ने सदस्य सचिव से एजेंडा मुद्दे पर चर्चा आरंभ करने का अनुरोध किया।

आयोजित चर्चा के मुद्दों अनुसार सारांश और बैठक में लिए गए निर्णय निम्न अनुसार हैं।

मुद्दा 5.1 11.05.2015 को आयोजित उप-समिति के चौथे बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि

यह सूचित किया गया था कि दिनांकित 19.05.2015 के पत्र के माध्यम से सभी सदस्यों को 11.05.2015 को आयोजित सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के प्रणाली अध्ययन के लिए गठित उप-समिति की चौथे बैठक की कार्यवृत्त संचारित किया गया था। किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी। संचारण अनुसार उप-समिति की चौथी बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मुद्दा 5.2 उप-समिति के चौथे बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्यवाही

महानदी – गोदावरी लिंक पर प्रस्तुतीकरण

11.05.2015 को आयोजित पिछली बैठक के दौरान उप-समिति को दो विकल्पों (क) और (ख) सहित वास्तविक महानदी-गोदावरी लिंक का विस्तृत वर्णन करता एक प्रस्तुतीकरण पेश किया गया था।

रा.ज.वि.अ के मुख्य अभियंता (मुख्यालय) द्वारा बैठक में बरमूल में एक बैरेज न बनाकर बल्कि एक बाँध बनाए जाने के प्रस्ताव पर प्रस्तुतीकरण किया। यह भी बताया गया था कि 29.05.2015 को ज.सं,न.वि और गं.सं.मं के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल ने ओडिशा के माननीय मुख्य मंत्री के समक्ष उपर्युक्त प्रस्तावों पर एक प्रस्तुतीकरण पेश की और इस विषय में उनके सरकार के तरफ से उत्तर मिलने की प्रतीक्षा है। हालांकि, 13.07.2015 को आयोजित विशेष समिति के पाँचवे बैठक के दौरान ओडिशा सरकार के ज.सं.वि के प्रधान सचिव ने प्रस्तावित मणिभद्रा बाँध तक महानदी जलाशय के जल संतुलन पर आरक्षण का मुद्दा उठाया।

यह निर्णय लिया गया था कि अगली बैठक में महानदी-गोदावरी लिंक पर ओडिशा सरकार के अवलोकन की प्रस्तुति के उद्देश्य हेतु उप-समिति द्वारा आमंत्रित ओडिशा सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा यह प्रस्तुतीकरण पेश किया जाएगा। श्री श्रीराम वेदिरे, सलाहकार, ज.सं,न.वि और गं.सं.मं ने सुझाव दिया कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की इच्छा अनुसार रा.ज.वि.अ ओडिशा सरकार को इस मुद्दे की अत्यावश्यकता के बारे में सूचित कर सकता है।

यह भी निर्णय लिया गया कि प्रतिष्ठित संस्थाओं, अर्थात रा.ज.सं, आईआईटी को इसमें शामिल कर तीन महीनों के भीतर महानदी-गोदावरी लिंक के तंत्र अनुकरण अध्ययन पूरे किए जा सकते हैं।

उप-समिति के अध्यक्ष के पूछ-ताछ पर रा.ज.वि.अ के निदेशक (तकनीकी) ने समझाया कि स्थलाकृतिक अवरोधों के कारण महानदी-गोदावरी का संरेखण पश्चिम की दिशा (लिंक नहर को प्रस्ताव अनुसार दौलेश्वरम के वजाय इंचमपल्ली के निकटवर्ती स्थल से जोड़ना) में विस्थापित करना संभव नहीं था। अध्यक्ष ने इच्छा प्रकट की कि अगली बैठक में उप-समिति के समक्ष इस लिंक के लाभ और हानि के स्पष्ट विवरणों सहित एक नोट जमा किया जा सकता है।

गोदावरी और कृष्णा नदियों के मध्य लिंकों पर प्रस्तुतीकरण।

पिछली बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार, रा.ज.वि.अ के मुख्य अभियंता (दक्षिण) द्वारा गोदावरी और कृष्णा नदियों के मध्य लिंक परियोजनाओं के विषय में एक प्रस्तुतीकरण पेश किया गया था।

रा.ज.वि.अ के मुख्य अभियंता (दक्षिण), हैदराबाद द्वारा यह सूचना दी गई कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय अवयव के अनुसार गोदावरी और कृष्णा नदियों को तीन लिंकों के ज़रिए जोड़ने का प्रस्ताव है:

(i) इंचमपल्ली-नागार्जुनसागर लिंक
(ii) इंचमपल्ली- पुलिछिन्तला लिंक
(iii) पोलावरम-विजयवाड़ा लिंक

रा.ज.वि.अ के मुख्य अभियंता (दक्षिण) ने यह भी उल्लेख किया कि इंचमपल्ली- नागार्जुनसागर लिंक कृष्णा नदी तक और उससे भी आगे जल पथांतरण का मुख्य वाहक है। इस लिंक के ज़रिए लगभग 16426 मि.घ.मी जल के पथांतरण का प्रस्ताव है और इसके मार्ग में तेलंगाना राज्य को इससे लाभ होगा। इंचमपल्ली- पुलिछिन्तला लिंक इसके मार्ग में जल उपयोगों के लिए लगभग 3900 मि.घ.मी जल गोदावरी और कृष्णा जलाशय में दिक्परिवर्तित करेगा। पोलावरम- विजयवाड़ा लिंक पोलावरम परियोजना का एक हिस्सा है और आंध्र प्रदेश सरकार के योजना अनुसार इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

श्री श्रीराम वेदिरे, सलाहकार, ज.सं,न.वि और गं.सं.मं ने देखा कि रा.ज.वि.अ ने वर्ष 2005 में, अर्थात आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन से पूर्व इंचमपल्ली-नागार्जुनसागर लिंक और इंचमपल्ली-पुलिछिन्तला लिंक की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर लिया था। अतः इन लिंक प्रस्तावों के बारे में तेलंगाना राज्य द्वारा उठाए गए मुद्दों और समस्याओं पर विधिवत कार्यवाही नहीं की गई है। इसके अलावा, अध्ययन में उपयोग किए गए आंकड़े बहुत पुराने हैं (2005) अतः इंचमपल्ली के प्रस्तावित बाँध स्थल तक गोदावरी जलाशय का जल संतुलन अध्ययन उत्परिवर्तित की जाने की आवश्यकता है।

केवल तभी उप-समिति द्वारा लिंक तंत्रों पर अगला परीक्षण किया जा सकता है। यह निर्णय लिया गया कि नवम्बर, 2015 तक रा.ज.वि.अ को इन अध्ययनों की समीक्षा करनी होगी।

मुद्दा 5.3 मानस-संकोष-तिस्ता-गंगा लिंक पर प्रस्तुतीकरण

रा.ज.वि.अ के महानिदेशक ने महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी-वैगाई-गुंडार लिंक प्रणाली के जल संवर्धन में मानस-संकोष-तिस्ता-गंगा लिंक की आवश्यकता और महत्व पर व्याख्यान किया।

बैठक के दौरान रा.ज.वि.अ के मुख्य अभियंता (मुख्यालय) द्वारा मानस-संकोष-तिस्ता-गंगा लिंक की योजना और व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयारी की स्थिति पर एक प्रस्तुतीकरण पेश किया गया था। यह बताया गया कि इस लिंक नहर में मध्यवर्ती धाराओं, अर्थात एई, तोरसा, रैडक, जलढाका से अनुपूरण सहित मानस और संकोष नदियों

में अधिशेष जल संतुलन के पथांतरण की परिकल्पना है और फरक्का में गंगा के प्रवाह के संवर्धन के लिए एई, तोरसा, रैडक, जलढाका प्रस्तावित है और कई लिंकों की एक श्रृंखला, अर्थात गंगा-दामोदर-सुबर्णरिखा और सुबर्णरिखा-महानदी लिंक के ज़रिए कृष्णा, पेन्नार, कावेरी वैगई और गुंडार जलाशय के जल अभाव क्षेत्रों में जल के अतिरिक्त पथांतरण की परिकल्पना है। नहर के मार्ग में जल के उपयोगों के बाद दक्षिण में आगे जल के पथांतरण के लिए महानदी में लगभग 13965 मि.घ.मी जल उपलब्ध होगा।

यह सूचित किया गया था कि मा.सं.ति.गं लिंक की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट वर्ष 1996 में पूरी हो चुकी थी और वास्तविक संरेखण के अनुसार व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी नहीं की जा सकी थी क्योंकि मानस-संकोष-तिस्ता लिंक मानस बाघ अभयारण्य, बक्सा बाघ अभयारण्य और अन्य वन से गुजरता है। इन क्षेत्रों में सर्वेक्षण और अन्वेषण आयोजित करने के प्रायोगिक असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रा.ज.वि.अ ने 80 मीटर उत्थापन सहित भिन्न अभयारण्य वनों का परिवर्जन करते हुए वैकल्पिक संरेखण अध्ययन आयोजित किया है। मानस-संकोष-तिस्ता-गंगा लिंक की परिहार्यता रिपोर्ट की तैयारी ज़ारी है और यह दिसंबर, 2015 तक पूरी हो जाने की आशा है।

मुद्दा 5.4 उप-समिति-II, सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के अध्ययनों के लिए गठित उप-समिति के कार्यकाल में विस्तारण – विशेष समिति द्वारा अनुमोदन

समिति को यह सूचना दी गई थी कि 13.07.2015 को आयोजित बैठक में न.के.अं की परियोजना के लिए गठित विशेष समिति द्वारा उप-समिति के समय-सीमा में विस्तारण के मुद्दे पर विचार किया गया था और उप-समिति के कार्यकाल को छह माह, अर्थात 12 फरवरी, 2016 तक विस्तृत करने का निर्णय लिया गया था। उप-समिति ने सूचना पर ध्यान दिया।

मुद्दा 5.5 उप-समिति के कार्यों के निष्पादन के लिए सलाहकारों की नियुक्ति

यह सूचित किया गया था कि सचिव (ज.सं, न.वि और गं.सं.मं) ने उप-समितियों और कार्यबल के कार्यों के निष्पादन हेतु सलाहकारों की नियुक्ति पर अनुमोदन प्रदान किया है। सामान्य वित्तीय नियम 2005 के अनुसार नियमों तथा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए व्यक्तिगत सलाहकारों का चुनाव किया जाएगा। रा.ज.वि.अ में सलाहकारों की नियुक्ति की प्रक्रिया ज़ारी है।

विस्तार पूर्वक विचार-विमर्श किए जाने के बाद निम्न संस्तुतियां/ निष्कर्ष सामने आए:

1. महानदी-गोदावरी लिंक प्रस्ताव का वास्तविक संरेखण, विकल्प (क) और (ख) और बरमूल पर एक बाँध सहित समीक्षित संरेखण पर एक व्याख्यान तैयार किया जा सकता है और तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सकता है और अगली बैठक में उप-समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. महानदी-गोदावरी लिंक पर प्रस्तुतीकरण पेश करने के लिए उप-समिति द्वारा आमंत्रित ओडिशा सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा अगली बैठक में महानदी-गोदावरी लिंक पर प्रस्तुतीकरण पेश की जाएगी।
3. किसी प्रतिष्ठित संस्थान को नियुक्त कर तीन महीने के अंदर महानदी-गोदावरी लिंक का तंत्र अनुकरण अध्ययन पूरा किया जा सकता है।
4. उपलब्ध आधुनिक जानकारियों के आधार पर नवम्बर, 2015 तक गोदावरी जलाशय के जल संतुलन अध्ययन की समीक्षा की जा सकती है।
5. अगली बैठक में उप-समिति को लिंक नहर को प्रस्ताव अनुसार दौलेश्वरम के बजाय इंचमपल्ली के निकटवर्ती स्थल से जोड़ने के लिए महानदी-गोदावरी लिंक को पश्चिम के तरफ विस्थापित करने के लाभ और हानि के स्पष्ट विवरणों सहित एक नोट प्रस्तुत किया जा सकता है।
6. इंचमपल्ली-नागार्जुनसागर लिंक के ज़रिए तेलंगाना राज्य में अधिक जल के उपयोगों की संभावनाओं की खोज।
7. शीघ्र-अति-शीघ्र आवश्यक सलाहकारों को नियुक्त किया जा सकता है।
8. आवश्यक विशेष तंत्र अध्ययनों के निष्पादन हेतु भिन्न आईआईटी, भा.वि.सं और रा.ज.सं रुड़की से सहायता माँगी जा सकती है।
9. 21 अगस्त, 2015 को उप-समिति की अगली बैठक आयोजित की जा सकती है।

मुद्दा 5.6 अध्यक्ष के अनुमति से कोई अन्य मुद्दा

कोई नहीं

अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त हुई।

संलग्नक – I

28.7.2015 को नई दिल्ली में आयोजित सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के प्रणाली अध्ययन के लिए गठित उप-समिति की पाँचवीं (5 वीं) बैठक के सहभागी

1. प्रोफेसर पी.बी.एस शर्मा, (सेवा-निवृत्त) — अध्यक्ष
   सीईडी, आईआईटी, दिल्ली

2. प्रोफेसर कामता प्रसाद, — सदस्य
   अध्यक्ष, सं.प्र.आ.वि.सं,
   दिल्ली

3. प्रोफेसर संजीव कपूर, — सदस्य
   आईआईएम, लखनऊ

4. श्री एम. इलंगोवन, — सदस्य
   सेवा-निवृत्त मुख्य अभियंता, के.ज.आ

5. श्री श्रीराम वेदिरे, — सदस्य
   सलाहकार, ज.सं,न.वि और गं.संमं

6. श्री एन.सी जैन, — सदस्य-सचिव
   निदेशक (तकनीकी),
   रा.ज.वि.अ

रा.ज.वि.अ के अधिकारी

7. श्री एस. मसूद हुसैन,
   महानिदेशक, रा.ज.वि.अ

8. श्री एम.के. श्रीनिवास,
   मुख्य अभियंता (दक्षिण),
   रा.ज.वि.अ, हैदराबाद

9. श्री आर.के जैन,
   मुख्य अभियंता (मुख्यालय),
   रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली

10. श्री ओ.पी.एस कुशवाह,
    अधिक्षण अभियंता,

रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली

11. श्री के.पी गुप्ता,
    अधिक्षण अभियंता, रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली

12. श्री निज़ाम अली,
    सलाहकार (तक),
    रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली